

7. परियोजना / स्कीम का स्थान
- (i) राज्य / संघ शासित क्षेत्र : 30/2/2005
- (ii) जिला : नगीताल
- (iii) वन प्रभाग : शमनगर वन प्रभाग
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) : 0.360 है०
- (v) वन भूमि की कानूनी स्थिति : वन पंचायत अधीन
- (vi) हरियाली का घनत्व :
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल- 8 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न की जाय। : संलग्न है।
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। : संलग्न है।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। : 0.01 KM
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का मार्ग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए) : नहीं
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ / तो तत्संबंधी व्यौरा दें। : नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। : नहीं
- 8 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। : हाँ
- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। : नहीं